

कार्यालय कलेक्टर, जिला-बस्तर, जगदलपुर
(आदिवासी विकास शाखा)

Email:- actd.jdp@gmail.com

Phone / Fax No. 07782 - 222520

क्र०/आ.वि./एकलव्य भर्ती/ 4047/2019/जगदलपुर,

दिनांक 29/11/2019

//विज्ञापन//

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/3958/रायपुर, दिनांक 03.08.2019 के अनुपालन में जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में व्याख्याता पी०जी०टी० एवं शिक्षक टी०जी०टी० के विषयवार रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था हेतु बस्तर जिले के निर्धारित अहर्ता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त, (आदिवासी विकास) जगदलपुर के पते पर दिनांक 30.12.2019 तक पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है। जिसमें आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।


क्र.	पद	विषयवार रिक्तियों की संख्या						
		हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीव विज्ञान	कुल
1	अतिथि शिक्षक (पी.जी.टी. स्तर)	01	01	01	01	01	01	06

क्र.	पद	विषयवार रिक्तियों की संख्या							
		हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	संस्कृत	शारीरिक शिक्षक	कुल पद
1	अतिथि शिक्षक (टी.जी.टी. स्तर)	04	03	04	01	02	01	02	17

निर्धारित योग्यता एवं शर्तः:-


- (1) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, (व्याख्याता पी.जी.टी. स्तर के अतिथि शिक्षकों हेतु) :- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी०एड० अथवा एम०एड० तथा संबंधित विषय में अध्यापन का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव ।
- (2) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, (शिक्षक टी.जी.टी.स्तर के अतिथि शिक्षकों हेतु) :- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक उपाधि एवं बी०एड० तथा संबंधित विषय में अध्यापन का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव
- (3) निवासी :- उम्मीदवार बस्तर राजस्व जिले का निवासी होना चाहिए।

- (4) इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जायेगा।
- (5) मानदेय:-
1. टी.जी.टी. स्तर के अतिथि शिक्षकों हेतु प्रति कालखण्ड 150/- माह में अधिकतम 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार मात्र)
 2. पी.जी.टी. स्तर के अतिथि शिक्षकों हेतु प्रति कालखण्ड 200/- माह में अधिकतम 18000/- (रूपये अठारह हजार मात्र)
- (6) उपस्थिति:- संस्था प्रमुख द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जायेगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर अनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जायेगी।
- (7) अतिथि शिक्षक हेतु चयनित अभ्यर्थी एवं सहायक आयुक्त, (आदिवासी विकास) के मध्य 50/- के स्टाम्प पर एक अनुबंध (एग्रीमेंट) का निष्पादन होगा। अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का अक्षरशः पालन, चयनित अभ्यर्थी को करना होगा। किसी शर्त के अवहेलना करने पर संबंधित अतिथि शिक्षक को शैक्षणिक व्यवस्था से तत्काल पृथक किया जा सकेगा।
- (8) अन्य शर्तें :-
- (8.1) अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है। अतः किसी प्रकार के कोई नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे। अपितु चयनित होने के उपरान्त संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने का औपचारिक निर्देश दिये जायेंगे।
- (8.2) शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षण सत्र तक ही प्रभावी होगा। अगले शिक्षण सत्र में आवश्यकता होने पर, नये सिरे से पुनः चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।
- (8.3) अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था कभी भी संचालन समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
- (8.4) अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी। साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे
- (8.5) किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।
- (8.6) विज्ञापित पदों पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु आरक्षण की स्थिति :- अनारक्षित


कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय एकलव्य आदर्श
आवासीय विद्यालय संचालन समिति
बस्तर जिला, जगदलपुर
दिनांक 29/11/2019

4048
पृक्र0/आ.वि./एकलव्य भर्ती/ /2019/जगदलपुर,
प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी (NIC) कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर |इस विज्ञप्ति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करें।


कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय एकलव्य आदर्श
आवासीय विद्यालय संचालन समिति
बस्तर जिला, जगदलपुर

—:आवेदन पत्र का प्रारूप:—

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावंड/बेसोली/तोकापाल में अतिथि शिक्षक हेतु

प्रति,

कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा)
जगदलपुर, जिला-बस्तर

स्वयं सत्यापित
कलर पासपोर्ट
फोटो

1. आवेदित पद का नाम- (पी.जी.टी./टी.जी.टी.) :
2. आवेदक का पूरा नाम (श्री/श्रीमती/कु0) :
3. पिता/पति का नाम :
4. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) :
5. स्थाई पता :
6. राष्ट्रीयता :
7. जन्म तिथि (अंकों में) दिनांक..... माह..... वर्ष.....
8. दिनांक 01.01.2019 को आयु पुष्टि हेतु हाई स्कूल का प्रमाण पत्र वर्ष..... माह..... दिन.....
9. जन्म स्थान तथा राज्य :
10. रोजगार कार्यालय का नाम पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :
11. जाति (संबंधित बॉक्स में सही का निशान लगायें)
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य

12.

उपरोक्त पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण :-

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि०वि०/संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13.

वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण, यदि हो तो

क्र०	कार्यालय/संस्थान का नाम	कार्य का प्रकार	अवधि
1	2	3	4

14.

कार्य का अनुभव:-

(कार्यालय/संस्था प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

15.

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.

::--घोषणा पत्र--::

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि, इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है, एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि, इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत/असत्य पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)

नोट:- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। उपरोक्त कंडिका से संबंधित प्रमाण पत्र ही संलग्न करें। संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को निर्धारित क्रम में रखा जाय।